:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारीः— राकेश कुमार न्योल आर.ए.एस.

**मुकदमा नम्बरः— 07 / 2020**

1. मानजी पुत्र पुजा जाति भील उम्र बालीग निवासी गडापट्टापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज।
2. जीवा पुत्र पुजा जाति भील उम्र बालीग निवासी गडापट्टापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज।

वादी

बनाम

1. गंगा पुत्री शंकर
2. जीवा पुत्र शंकर,
3. प्रकाश पुत्र शंकर,
4. मंगला पुत्र शंकर
5. मरीयम पुत्री शंकर
6. सन्सी पुत्री शंकर,
7. समृत पत्नी शंकर
8. सीना पुत्री शंकर
9. सोमा पुत्र शंकर
10. शान्ती पुत्री धुला,
11. भीखा पुत्र पुजा
12. सविता पुत्री पुजा निवासीयान गडापट्टापीठ तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
13. शाखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैक शाखा सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
14. शांखा प्रबन्धक आईसीआईसीआई बैक शाखा आंतरी जिला डूँगरपुर राज
15. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार झौथरीपाल जिला डूँगरपुर

—प्रतिवादीगण

**वादपत्र बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा घोषित कराने एवं बटवारा कराने, अवैध निर्माण हटाने अन्तर्गत धारा 53, 92क,183 राज.का.अधि.**

**उपस्थित :—**

**1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी**

**2 श्री वीरेन्द्रसिंह चौहान अधिवक्ता प्रतिवादीगण**

**:: निर्णय ::** **दिनांक 07 / 08 / 2024**

प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गडापट्टापीठ के जमाबन्दी खाता सख्या 173 के खसरा सख्या कमशः 448, 453, 495, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 663, 664, 665, 973, 974, 975, 446, 447, 449, 450, 451, 452, 631, कुल खसरा किता 22 का कुल रकबा 6.2809 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार दर्ज रिकार्ड है। कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रिकार्ड का पारिवारिक सजरा निम्नानुसार हैः—

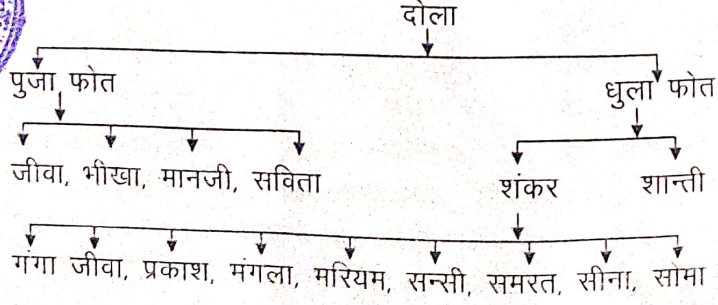


उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाडा

यह कि वादग्रस्त आराजी में वादी सख्या 1 का 1/8 एवं 2 का 1/8 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है मौके पर सयुक्त रूप से काबीज होकर काश्त करते आ रहे है, ऐसे में वादग्रसत आराजी का अच्छी से अच्छी लोकेशन किस्म एवं बुरी से बुरी लोकेशन/किस्म के आधार पर बटवारा कर अलग–अलग खाते कायम किए जाने आवश्यक है, किन्तु प्रतिवादीगण सहमत नहीं है जिस कारण वाद हेतुक उत्पन्न हुआ है। ऐसे में वाद पेश करना आवश्यक हो गया है। यह कि प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाना भी आवश्यक है कि वे वादी की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि में व्यवधान पैदा नहीं करें।

वादी का वाद न्यायसंगत होने से स्वीकार कर दिनांक 22.05.2024 को प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी थी एवं पत्रावली बइंतजार विभाजन प्रस्ताव दिनांक 05.07.2024 को नियत की गयी। दिनांक 05.07.2024 को तहसीलदार सीमलवाड़ा की ओर विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया। वकील वादी ने विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति पेश करने हेतु अवसर चाहा, अवसर दिया गया। आगामी नियत तिथि दिनांक 18.07.2024 को वकील वादी ने आपत्ति पेश की। आपत्ति का अवलोकन किया गया। आपत्ति को ध्यान में रखते हेतु तथा उभयपक्ष को सुनते हुए पुनः विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेशित किया गया। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा दिनांक 05.08.2024 को नये सिरे से विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया।

पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गयी। तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत नवीन विभाजन प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा असहमति व्यक्त नहीं की। ऐसे में विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने निर्णय/डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

विभाजन प्रस्ताव के अनुसार मानजी, भीखा, सविता पिता पूंजा हि. 19/24, जीवा पिता पूंजा हि. 05/24 किता 14 रकबा 2.9531 हैक्टेयर, जीवा, प्रकाश, मंगला, सीना, सन्सी, मरियम, गंगा, सोमा पिता शंकर समरत पत्नी शंकर हि. 2/3, शांति पुत्री धुला हिस्सा 1/3 किता 20 रकबा 3.1151 हैक्टेयर, केसर पत्नी मानजी किता 03 रकबा 0.1620 हैक्टेयर, मानजी, जीवा, भीखा, सविता पिता पूंजा, हि. 1/2 हि.ब., जीवा, प्रकाश, मंगला, सीना, सोमा, सन्सी, मरियम, गंगा पिता शंकर, समरत पत्नी शंकर हि. 1/3 हि.ब., शांति पुत्री धुला हिस्सा 1/6 किता 03 रकबा 0.0507 हैक्टेयर दिया गया है।

**::आदेश::**

तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव स्वीकार कर गाँव गडापट्टापीठ के जमाबंदी खाता संख्या 173 के खसरा संख्या 466, 447 से 453, 495, 625 से 631, 663, 664, 665, 973, 974, 975 किता 22 रकबा 6.2809 हैक्टेयर भूमि का तहसीलदार सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार बंटवारा कर खाते अलग–अलग कायम करने की आज्ञा दी जाती है। तहसीलदार तहसील सीमलवाड़ा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

Scanned with OKEN Scanner

नवशा ट्रेस इस निर्णय एवं अन्तिम डिक्री का भाग रहेंगे। तहसीलदार सीमलवाड़ा को आदेश दिया जाता है कि आदेशानुसार बटवारा कर खाते अलग–अलग कायम किए जावे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में अविलम्ब पेश करे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी, जो वादी के हक हिस्से की है, में ऐसा कोई प्रतिकूल कार्य नहीं करे जिससे वादी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडे। वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे। पत्रावली फैसल शुमार हो नंबर से कम हो। दाखिल दफ्तर होवे।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा

निर्णय आज दिनांक 07/08/2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया हैं।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा